RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10768/2026
CNR: RJHC020639752026 | URN: CRLMB / 19951U / 2026

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Atul Kumar S/o Shri Devendra Kumar, R/o Middle Part -92, Yogendra Nagar, Sitapura, Tehsil Sanganer, District Jaipur Rajasthan. (Presently Accused Confined in District Jail, Bharatpur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Gupta, Adv. Mr. Dharmendra Kumar Bairwa, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**22/07/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**22/07/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**24/07/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 703/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3/21, 5/23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, धारा 3, 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी)

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

अधिनियम तथा धारा 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। XPO.ru कंपनी के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है, उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है, ना ही कोई अपराध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (BUDS Act) के तहत प्रमाणित होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल के ट्रांसलिंक पर कौनसे व्यक्ति से ट्रांजेक्शन हुआ, इसे पुलिस ने अनुसंधान के दौरान नहीं जुटाया है। प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं पीड़ित है, उसके द्वारा भी XPO.ru कंपनी में निवेश किया गया था। इस प्रकरण में एक मात्र स्वतंत्र साक्षी तुलाराम परीक्षित हुआ है, जिसने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में जो सामान जब्त हुआ है, वह सामान अन्य व्यक्तियों को धोखा देकर उनसे अनुचित लाभ प्राप्त कर खरीदा गया हो, इस तथ्य को अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया है। पुलिस ने पीड़ितों को ही अभियुक्त बना दिया है, जो मुख्य आरोपी थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान के लिए प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया कि XPO.ru वेबसाईट व एप के संचालक व प्रमोटर विजय मौर्य, रजत मौर्य, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र परमार, सुरेन्द्र सैनी हैं, जिन्होंने आम जनता से XPO.ru व DIZICX.com वेबसाईट पर राशि निवेश करवाकर उक्त राशि हड़प ली। उनके विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और पूछताछ नोट बनाकर उन्हें छोड़ दिया तथा जो पीड़ित थे, जिन्होंने

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

राशि निवेश की थी, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में अतुल कुमार, मुकेश कुमार, कृष्ण कुमार, राकेश रैगर व उमराव मल को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अजय शर्मा, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र परमार, मुकेश शर्मा, सुरेन्द्र बरवाड़, संदीप सैंगर व विजय मौर्य वगैरह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही उन्हें अभियुक्त बनाया है। सहअभियुक्तगण मुकुल, उमराव मल, कृष्ण कुमार शर्मा, राकेश कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2026 के माध्यम से स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक कृत्य उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से जो फॉरच्यूनर कार बरामद हुई थी, वह उसने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, जयपुर से राजेश मोटर्स टोयोटा कंपनी से टैक्स इन्वाईस नंबर INV251000895 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा ऋण पर ली गई थी और कुल 38,61,000/– रुपये का ऋण लिया गया था। फॉरच्यूनर कार धोखाधड़ी कर प्राप्त राशि से खरीदी गयी हो, यह पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त से जो सामान बरामद हुआ है, वह अपराध की राशि से जुटाया गया हो, इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य अन्वेषण अधिकारी ने एकत्रित नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त के घरेलू सामान को जब्त कर पुलिस ने यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि से उक्त सामग्री क्रय की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वह दिनांक 14.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। बिना किसी न्यायसंगत व उचित कारण के प्रार्थी/अभियुक्त को अभिरक्षा में रखना उसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। Satender Kumar Antil Vs. CBI & Anr.; (2022)

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

10 SCC 51 व Sanjay Chandra Vs. CBI; (2012) 1 SCC 40 विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अनावश्यक न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं है। जमानत नियम है व जेल अपवाद है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Sanjay Chandra Vs. CBI; (2012) 1 SCC 40
2. Satender Kumar Antil Vs. CBI & Anr.; (2022) 10 SCC 51

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि फॉरेक्स CFD एवं क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर XPO.ru वेबसाईट व एप के जरिये लोगों को निवेश के लिए उत्प्रेरित कर 3,100 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गयी और उक्त वेबसाईट भारत की किसी भी फाईनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी से पंजीकृत नहीं है तथा वह भारत में धनराशि एकत्रित नहीं कर सकती है। उक्त वेबसाईट पर प्रतिमाह एक लाख से अधिक लोगों द्वारा एक्सेस की जा रही है, जिनमें से 99 प्रतिशत लोग भारत के हैं। अंकित अग्रवाल छद्म नाम से इस वेबसाईट को चला रहा था, जो इसका डवलपर है। 3,100 करोड़ रुपये की ठगी में 1,100 करोड़ रुपये जमा हुए हैं और जनता के 2,100 करोड़ रुपये वेबसाईट के डवलपर्स ने हड़प लिये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से फॉरच्यूनर कार, सोने–चांदी के आभूषण, आई–फोन मोबाईल वगैरह जब्त हुए हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

वर्तमान प्रकरण में, उपनिरिक्षक, पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का भी घटना की रिपोर्ट में नाम लिखा है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोगों से फर्जी XPO.ru वेबसाईट व एप के माध्यम से पैसा जमा करवाकर धोखाधड़ी करने के अपराध का आरोप है। पी.डब्ल्यू.–2 होतम सिंह अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज कराने से पूर्व और दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक शिकायत उसे नहीं दी गई, ना ही उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त वेबसाईट में प्रार्थी/अभियुक्त अतुल ने पैसा लगाने के लिए किसी को उत्प्रेरित किया हो। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.–2 होतम सिंह के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लोगों को पैसा लगाने के लिए प्रेरित करना या धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति ने उसके विरुद्ध लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की थी। इस प्रकरण में पी.डब्ल्यू.–1 तुलाराम शर्मा परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में यह कथन किया है कि अतुल कुमार शर्मा ने उससे कभी पैसा निवेश नहीं करवाया, ना ही उसके साथ धोखाधड़ी की।

पी.डब्ल्यू.–5 पंकज यादव, जो प्रकरण का अन्वेषण अधिकारी है, उसने प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से फॉरच्यूनर कार व सोने–चांदी के आभूषण, एक लेपटॉप डेल कंपनी का, दो डायरी, मोबाईल फोन, हनुमान जी की छोटी मूर्ति और 35,000/– रुपये जब्त होना बताया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दी है कि प्रार्थी/अभियुक्त के शामिलाती मकान से माल बरामद हुआ। यह

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

साक्षी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गाड़ी कैसे क्रय की, इस बारे में उसने अनुसंधान नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से राजेश मोटर्स टोयोटा कंपनी का टैक्स इन्वाईस प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उक्त फॉरच्यूनर कार प्रार्थी/अभियुक्त ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से 38,61,000/– रुपये ऋण लेकर क्रय की है। गवाह पंकज यादव अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से जो सामान बरामद हुआ वह किस प्रकार से धोखाधड़ी की राशि से क्रय किया गया। इस संबंध में किसी प्रकार के कोई तथ्य अन्वेषण अधिकारी ने जुटाकर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जब्तशुदा सामान लोगों से निवेश करवाकर धोखाधड़ी करके प्राप्त राशि से क्रय किया हो। फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त से 42,800/– रुपये नकद बरामद हुए हैं, जबकि पी.डब्ल्यू.–5 पंकज यादव ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में 35,000/– रुपये नकद बरामद किया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामदगी के संबंध में पी.डब्ल्यू.–5 पंकज यादव के बयान व फर्द बरामदगी में अंकित राशि में भिन्नता नजर आती है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर को निष्पक्ष अनुसंधान के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्वेषण अधिकारी ने कोई विचार किया हो, इस तथ्य का उल्लेख केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जिसमें 3,100 करोड़ रुपये निवेश किये गये हैं, जिनमें से जनता से 2,100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। XPO.ru वेबसाईट व एप, जिसके माध्यम से राशि जमा हुई, उक्त वेबसाईट व एप को बनाने वाले व संचालित करने वालों के संबंध में पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया, ना ही उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

गये हैं। रजत गोयल, सुरेश बारवाड़, सुरेन्द्र सैनी व उनके अन्य साथी XPO.ru व DIZICX.com वेबसाईट के संचालक व प्रमोटर होने बताये गये हैं। पुलिस ने रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र बारवाड़, संदीप सैंगर, विजय मौर्य व अन्य व्यक्ति, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया है। अतः इस प्रकरण में अब तक जो अनुसंधान किया गया है, वह अनुसंधान भी प्रथम दृष्टया लचर प्रतीत होता है।

प्रार्थी/अभियुक्त ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, जयपुर से 38,61,000/– रुपये का ऋण लेकर फॉरच्यूनर कार क्रय करना बताया है। उक्त कार प्रार्थी/अभियुक्त ने धोखाधड़ी से प्राप्त राशि से क्रय की हो, इस संबधं में अन्वेषण अधिकारी ने कोई अनुसंधान नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से आई–फोन मोबाईल, सोने–चांदी के आभूषण, हनुमान जी की लॉकेट और जो राशि बरामद हुई है, वह भी धोखाधड़ी कर अवैधानिक तरीके से प्राप्त की गयी हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य अन्वेषण अधिकारी ने नहीं जुटाई है। नकद राशि की बरामदगी के संबंध में भी भिन्नता है। फर्द बरामदगी में अलग राशि बरामद होना दिखाई गई है तथा पी.डब्ल्यू.–5 पंकज यादव ने अपने बयान में उससे अलग राशि बरामद होना बताया है।

ऐसें प्रकरणों में जहां 3,100 करोड़ रुपये निवेश हुए और 2,100 करोड़ रुपये धोखाधड़ी कर प्राप्त किये गये हों, में भी लचर अनुसंधान करना, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास नहीं करना, आरोपियों को अपराध से जोड़ने के संबंध में कोई तथ्य नहीं जुटाना और ना ही इस संबंध में समुचित अनुसंधान करना अन्वेषण अधिकारी की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। ऐसे प्रकरणों में स्वतंत्र व निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर लचर अनुसंधान किया जाना अत्यंत गंभीर है। इस संबंध में मैं गृह सचिव, राजस्थान सरकार व पुलिस महानिदेशक, राजस्थान का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि वे

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण पर ध्यान देकर प्रकरण में स्वतंत्र व निष्पक्ष अनुसंधान करवाएं।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अन्वेषण के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध कारित करने तथा जनता से धोखाधड़ी कर हड़पे पैसों से फॉरच्यूनर कार, सोने–चांदी के आभूषण आदि क्रय किये हों, इससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं आई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.11.2025 से अभिरक्षा में है। सहअभियुक्तगण मुकुल, उमराव मल, कृष्ण कुमार शर्मा व राकेश कुमार की जमानत इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2026 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अतुल कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)

इस आदेश में दिया गया कोई भी मत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

इस आदेश की प्रति गृह सचिव, राजस्थान सरकार व पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/34

(Uploaded on 24/07/2026 at 05:53:17 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:26:41 PM)